प्रेस विज्ञप्ति

शासनादेश सं0 जन–519 / छः–पु–5–2016–800(03) / 2016 गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 29.09.2016 में इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.07.2016 के माध्यम से **"आयुध नियम–2016"** लागू कर दिया गया है। अतः अब शस्त्र लाइसेन्सों से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियां उक्त नियमावली में दिए गए निर्देशानुसार ही सम्पन्न की जायेगी।

आयुध नियम–2016 के नियम–24(2) के तहत शस्त्र लाइसेन्सधारक अपने शस्त्र लाइसेन्स नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में जिनमें विर्निदिष्ट उक्त अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के कम से कम साठ दिन पूर्व, प्ररूप में विंनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नियम–27(2ख) के अनुसार विलम्ब से नवीनीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि विलम्ब उचित या माफ करने योग्य नहीं है और न ही इतना गम्भीर है कि अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण या अनुज्ञप्तिधारी का अभियोजन किया जाए तो वह दो हजार रूपए की बिलम्ब फीस का उदग्रहण कर सकेगा। परन्तु यदि किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्ररूप–3 में अनुज्ञप्ति अवसान की तारीख से एक मास के भीतर किया जाता है, वंहा कोई बिलम्ब फीस उदग्रहणीय नहीं होगी। एस0बी0बी0एल0गन / डी0बी0बी0एल0गन / एन0पी0बी0 रिवाल्वर / पिस्टल / एन0पी0बी0रायफल का नवीनीकरण शुल्क मु0 1500 / –रूपया (एक हजार पांच सौ रूपए) निर्धारित की गयी है।

उक्त **आयुध नियम–2016** में दी गयी व्यवस्थानुसार नवीन शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्र आयुध अनुभाग कलेक्ट्रेट, इटावा में उपलब्ध हैं।

नियम–16(2) के तहत निर्देशित किया गया है कि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुसूची–5 के स्तम्भ (2)में विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवाओं के उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर करने के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। उक्त अनुसूची–5 कलेक्ट्रेट, इटावा के नोटिस बोर्ड / जनपद इटावा की वेव साइट पर देखी जा सकती है।

अतः जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेन्सधारकों को सूचित किया जाता है कि वह अपने–अपने शस्त्र लाइसेन्सों का नवीनीकरण समयान्तर्गत सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपस्थित होकर शस्त्र लाइसेन्सों का नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा जनपद स्तर पर लम्बित समस्त शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्रों के आवेदक **आयुध नियम–2016** में दी गयी व्यवस्थानुसार नवीन शस्त्र लाइसेन्स आवेदन पत्र आयुध अनुभाग कलेक्ट्रेट, इटावा से प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि उनमें अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

नगर मजिस्ट्रेट, इटावा /
प्रभारी अधिकारी (आयुध)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

पृ0सं0 555 **/ आ0लि0–प्रेस विज्ञ0 / 2016** — **दिनांकः दिसम्बर 02 ,2016**

प्रतिलिपि–

1- जिला मजिस्ट्रेट महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को उक्त अनुसूची–5 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अनुसूची–5 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3- अपर जिला मजिस्ट्रेट, इटावा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4- अपर पुलिस अधीक्षक, इटावा।

5- नगर मजिस्ट्रेट,इटावा/उप जिला मजिस्ट्रेट, इटावा/भरथना/चकरनगर/सैफई ताखा/जसवन्तनगर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.07.2016 के माध्यम से लागू **"आयुध नियम–2016"** में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

6- जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी, इटावा को इस आशय के साथ कृपया संलग्न अनूसूची--5 (अनुसूची–5 अनुसूची–।। के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकरणों के लिए नियमों के अधीन विभिन्न सेवाओं के लिए चिन्हित समय सीमाऐं) को जनपद की बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

7- जनपद इटावा के समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

8- समस्त थानाध्यक्ष जनपद इटावा को इस निर्देश के साथ कि वह संलग्न अनुसूची –5 में दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में विभिन्न प्रकार के प्राप्त होने वाले पत्रों पर अपनी विस्तृत/सुस्पष्ट आख्या भिजवाना सुनिश्चित करें।

9- जिला सूचना अधिकारी, इटावा को (10 प्रतियों में) दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

नगर मजिस्ट्रेट, इटावा/
प्रभारी अधिकारी (आयुध)
02.12.16

अनुसूची V

(नियम 16 देखें)

अनुसूची II के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकरणों के लिए नियमों के अधीन विभिन्न सेवाओं के लिए विहित समय सीमाएं

क्रम सं०	सेवा की प्रकृति	नियम सं०	विहित समय अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पुलिस सत्यापन करना	14	आवेदन प्राप्ति 30 दिनों में
2.	अनुज्ञप्ति का प्रदान या अस्वीकृत करना	13	नियम 13 के अधीन पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति से 60 दिनों में
3.	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति का प्रदान या अस्वीकृत करना	20	नियम 13 के अधीन पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति से 30 दिनों में
4.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण	24	नियम 13 के अधीन पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति से 30 दिनों में
5.	अनुज्ञप्ति पर आयुध या गोला बारूद का पृष्ठांकन	18	आयुध पृष्ठांकन के आवेदन प्राप्ति से 7 दिनों में
6.	किसी बाहरी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी का रजिस्ट्रीकरण	17	नए अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा आवेदन के रजिस्ट्रीकरण की प्राप्ति से 15 दिनों में
7.	आयुध का जोड़ना/हटाना	18	आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों में
8.	अग्नि आयुध के विक्रय की अनुज्ञा	-	धारा 5 के अधीन समुचित अवधि के अवसान के 3 दिनों में
9.	अनुज्ञप्ति की वैद्यता क्षेत्र का विस्तार	18	अनुसूची II के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों में
10.	पता परिवर्तन	17	अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन के रजिस्ट्रीकरण की प्राप्ति के 15 दिनों में
11.	कम्पनियों के प्रतिधारण का जोड़ना/हटाया जाना	22	आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों में
12.	यात्रा अनुज्ञप्ति का प्रदान करना	-	आवेदन की प्राप्ति के 2 कार्यदिवसों में
13.	परिवहन अनुज्ञप्ति का प्रदान करना	96	आवेदन की प्राप्ति के 2 कार्यदिवसों में
14.	एनओसी का प्रदान करना	98	आवेदन की प्राप्ति के 2 कार्यदिवसों में
15.	अनुलिपि पुस्तिका का जारी किया जाना	28	आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों में
16.	अपीलों का निपटान	108	अपील की प्राप्ति के 60 दिनों में
17.	कोई अन्य सेवा जो ऊपरोक्त परिभाषित नहीं की गई है	-	आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों में

[सं. वी-11026/104/2014-आर्म्स (वोल्यम-III)]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव